राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या–38 / 2017............................ जिला ....हनुमानगढ़...

उनवान : मैसर्स शिव जनरल स्टोर, हनुमानगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, हनुमानगढ़.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री के. एल. जैन, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**	
15 / 11 / 2017	अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2580 / 2016 / हनुमानगढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.12.2016 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर के आदेश दिनांक 30.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत आंशिक राशि रूपये 25,77,685 / – की वसूली कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात् पुनः व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण एवं स्थगन अवधि को बढ़ाने हेतु प्रार्थना–पत्र संख्या 11 / 2017 प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा आदेश दिनांक 30.03.2017 के जरिये अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रकरण के निस्तारण की अवधि 6 माह बढ़ाई गई, किन्तु उक्त अवधि में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सका। अतः इस प्रार्थना–पत्र के जरिये व्यवहारी द्वारा पुनः निवेदन किया गया है कि अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होने के कारण, प्रकरण के निस्तारण की अवधि पुनः बढ़ायी जावे। प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलार्थी व्यवहारी के प्रार्थना–पत्र में अंकित आधारों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 19.12.2016 द्वारा दिये गये स्थगन की अवधि अपीलीय अधिकारी के निर्णय तक बढ़ाई जाती है। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम में विहित अवधि में अपील निर्णय पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	